


30.07.2024 पत्रावली पेश हुई पक्षकार उपस्थित।
तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा जवाब
प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा भूमि की
सीमा जानकारी नहीं कराई है और
न ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र
में वर्णित भूमि पर विवाद करने वाले
किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाया है।
प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र संबंधित पक्षकार
को बिना जाने किसी प्रकार निर्णय
पारित किया जाना व्यापेक्षित नहीं
होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र
प्रारब्धीकार कर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फंसल शुमार होकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।


SDO

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा